

एलपीजी वितरक के लिए आवेदन

(नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करते हुए प्रपत्र संबंधित बॉक्सेस में बड़े अक्षरों में भरा जाए)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|--|--|------|--|
| कार्यालय उपयोग हेतु आवेदक द्वारा नहीं भरा जाए | | ऑफिस कोड | | क्रमांक संख्या | | D D - M M - Y Y Y Y | | आवेदन की प्राप्ति की तारीख | | <p>पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित फोटोग्राफ पर नमूना हस्ताक्षर करें।</p> | | | |
| 1 विज्ञापित स्थान का विवरण | | क. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन (तेल कंपनी का नाम - आईओसी/बीपीसी/एचपीसी) | | I O C / B P C / H P C | | D D - M M - Y Y Y Y | | | | | | | |
| ख. विज्ञापन तिथि (विज्ञापन की तारीख) | | ग. समाचार पत्र का नाम | | | | | | | | | | | |
| घ. वितरकशिप का प्रकार | | ग. समाचार पत्र का नाम | | | | | | | | | | | |
| ड. स्थान की श्रेणी | | घ. वितरकशिप का प्रकार | | | | | | | | | | | |
| कृपया आवेदित श्रेणी/उपश्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (लागू संलग्न अनुबंधों के अनुसार) संलग्न करें। | | | | | | | | | | | | | |
| च. विज्ञापन के अनुसार स्थान का नाम | | (अथवा इलाका यदि विनिर्दिष्ट हो) विज्ञापन अनुसार | | | | | | | | | | | |
| छ. ग्राम पंचायत | | (दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) स्थान हेतु अनिवार्य) | | | | | | | | | | | |
| यदि डीकेवी हेतु आवेदन है तो क्या आप इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं ? हाँ अथवा ना का चयन करें | | | | | | | | | | हाँ | | नहीं | |
| ज. राजस्व उप मंडल | | झ. ब्लॉक | | | | | | | | | | | |
| ण. जिला | | त. राज्य / संघ शासित प्रदेश | | | | | | | | | | | |
| 2 आवेदन शुल्क का विवरण | | टिप्पणी : स्थान/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रकार और नीचे दी गई श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जोड़ें (एससी/एसटी श्रेणी से संबंधित आवेदकों को अपना एससी/एसटी प्रमाणपत्र जोड़ना होगा।) | | | | | | | | | | | |
| लोकेशन का प्रकार | | खुली श्रेणी | | आवेदन शुल्क | | ओबीसी श्रेणी | | एससी/एसटी श्रेणी | | | | | |
| शहरी एवं आर-अर्बन वितरक | | ₹.10,000 | | ₹. 5,000 | | ₹. 3,000 | | | | | | | |
| ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक | | ₹.8,000 | | ₹. 4,000 | | ₹. 2,500 | | | | | | | |
| क. आवेदन शुल्क संलग्न है (शब्दों एवं अंकों में राशि) | | ₹. | | | | | | | | (शब्दों में राशि) | | | |
| ख. डिमांड ड्राफ्ट संख्या | | तारीख | | D D - M M - Y Y Y Y | | | | | | | | | |
| ग. डीडी आहरित (बैंक का नाम) | | | | | | | | | | | | | |
| घ. पर देय | | | | | | | | | | | | | |
| 3 आवेदक का विवरण | | | | | | | | | | | | | |
| क. नाम | | प्रथम नाम | | मध्य नाम | | उप-नाम | | | | | | | |
| ख. पिता/पति का नाम | | प्रथम नाम | | मध्य नाम | | उप-नाम | | | | | | | |
| ग. निवासीय पता (अनिवार्य) | | | | | | | | | | | | | |
| घ. ग्राम पंचायत | | (दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थान हेतु अनिवार्य) | | | | | | | | | | | |
| ड. राजस्व उप प्रभाग | | (दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थान हेतु अनिवार्य) | | | | | | | | | | | |
| च. जिला (अनिवार्य) | | | | | | | | | | | | | |
| छ. राज्य (अनिवार्य) | | | | | | | | | | पिनकोड : | | | |
| ज. मोबाइल नंबर (अनिवार्य) | | | | | | | | | | | | | |
| झ. ईमेल आईडी (अनिवार्य) | | | | | | | | | | | | | |
| ण. आधार संख्या | | | | | | | | | | | | | |
| त. पैन | | | | | | | | | | | | | |
| थ. भारतीय नागरिक | | हाँ / नहीं | | लिंग | | पुरुष / स्त्री | | | | | | | |
| द. जन्म तिथि | | D D - M M - Y Y Y Y | | आयु : | | वर्ष | | माह | | दिन | | | |
| ध. वैवाहिक स्थिति | | अविवाहित / शादीशुदा / विधवा (विधुर) / तलाकशुदा | | | | | | | | जो भी लागू न हो उसे काट दे। | | | |
| न. शिक्षा | | स्कूल | | बोर्ड | | उत्तीर्ण होने का वर्ष | | | | | | | |
| दसवीं कक्षा या समकक्ष का विवरण | | | | | | | | | | | | | |
| प. पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो) | | प्रथम नाम | | मध्य नाम | | उप-नाम | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 3.फ. | क्या न्यायालय द्वारा आपको कभी नैतिक हनन और / या आर्थिक अपराध के साथ-साथ कानूनी अपराध (स्वाधीनता संग्राम के अलावा) के आरोप में दोषी पाया गया था ? (यदि हाँ तो आप आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं) | | हाँ / नहीं | जो भी लागू न हो उसे काट दें | | | |
| (नीचे दिए गए परिशिष्ट -1 के अनुसार आवेदक को 'स्वयं-घोषणापत्र' संलग्न करना होगा।) | | | | | | | |
| 4 | सरकारी कार्मिक(जीपी) श्रेणी - खुली (जीपी), एससी(जीपी), एसटी(जीपी) वओबीसी (जीपी) के अंतर्गत आवेदकों हेतु लागू । | | | | | | |
| दिए गए बॉक्स में आप जिस उप श्रेणी से संबंधित हैं के सामने टिक (✓) करें । | सशस्त्र बलों / केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों / केंद्रीय या राज्य विशेष बलों के कार्मिकों, जिनकी अपने कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हो गई हो, की विधवाएं/आश्रित | | Box | | | | |
| | सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के अक्षम कर्मियों / केंद्रीय या राज्य विशेष बलों जिनकी अपने कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हो गई हो । | | Box | | | | |
| | सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिक | | Box | | | | |
| | केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिकों जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हुई हो, की विधवाओं/आश्रितों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे कार्मिकों जो कर्तव्यपालन के दौरान विकलांग हुए हैं । | | Box | | | | |
| ध्यान-योग्य: आवेदक जो सरकारी कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं।A तथा जिन्हें सुरक्षा कार्मिक (थल, जल, वायु सेना) में श्रेणीबद्ध किया गया है और जिनमें युद्ध के दौरान मृत्यु हुई हो की विधवाएं/आश्रित; युद्ध से विकलांग; कर्तव्यपालन के दौरान विकलांग; सशस्त्रबलों के सदस्य जिनकी मृत्यु कार्य करते हुए हुई, की विधवाएं/आश्रित; कर्तव्य करते हुए शांतिपूर्वक विकलांग शामिल होंगे तथा भूतपूर्व सैनिक को अपना संबन्धित प्रमाणपत्र सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करें। | | | | | | | |
| 5 | विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में यथाविनिर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करते हुए, विज्ञापन तिथि की शुरुआत से आवेदन की प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक किसी भी तिथि को आवेदक/परिवार इकाई के नाम अपने स्वामित्व अथवा न्यूनतम 15 वर्षों की पंजीकृत लीज में एलपीजी गोडाउन के निर्माण हेतु भूखंड या निर्मित एलपीजी गोडाउन का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें । | | | | | | |
| नोट: 1. जिन आवेदकों के पास विज्ञापन की तिथि से पहले शुरुआत की किसी तिथि में पंजीकृत लीज डीड पर भी विचार किया जाएगा बशर्त की लीज विज्ञापन की तिथि से न्यूनतम 15 वर्षों के लिए वैध है । पेश की गई भूमि फील्ड सत्यापन के दौरान सत्यापित की जाएगी । दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के मामले में गोदाम की भूमि विज्ञापित लोकेशन के अनुसार गाँव / गाँव समूह की सीमा के अन्दर होनी चाहिए । 2. यदि भूमि 'परिवार इकाई' से संबंधित हों तो परिशिष्ट -2 के अनुसार परिवार सदस्यों से घोषणापत्र संलग्न करें | | | | | | | |
| | भूमि मालिक/लीजधारक का/के नाम | आवेदक के साथ संबंध | सेल डीड/गिफ्ट डीड/रजिस्टर्ड लीज डीड की तारीख/परिवर्तन तारीख | एलपीजी गोडाउन हेतु भूमि के लोकेशन का पता | खसरा नंबर/सर्वे नंबर | भूमि का क्षेत्रफल *# | स्थान से दूरी किलोमीटर में |
| | | | | | | लंबाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में |
| | | | D D M M Y Y | | | | |
| नोट : (1)यदि आप शहरी वितरक अथवा आर-अर्बन वितरक हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास गोदाम हेतु न्यूनतम 25मी. X 30मी. आकार के जमीन के प्लॉट अथवा न्यूनतम 8000 कि.ग्रा. एलपीजी भंडारण क्षमता का निर्मित गोदाम होना चाहिए; यदि आप ग्रामीण वितरक हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास गोदाम हेतु न्यूनतम 21मी. X 26मी. आकार के जमीन के प्लॉट अथवा न्यूनतम 5000 कि.ग्रा. एलपीजी भंडारण क्षमता का निर्मित गोदाम होना चाहिए; यदि आप दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास गोदाम हेतु न्यूनतम 15मी. X 16मी. आकार के जमीन के प्लॉट अथवा न्यूनतम 3000 कि.ग्रा. एलपीजी भंडारण क्षमता का निर्मित गोदाम होना चाहिए। (2) यदि आवेदक के पास एक से ज्यादा भूमि है तो उसका विवरण, यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त शीट में भी प्रदान किया जा सकता है। (3) इस स्थान के लिए ऊपर दर्शाई भूमि को किसी अन्य आवेदक द्वारा पेश नहीं होनी चाहिए और किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि इस जमीन की पेशकश एक से अधिक आवेदकों द्वारा की गई है, तो ऐसे सभी आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और यदि कोई चयन किया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा । | | | | | | | |
| * स्वामित्व की कुल भूमि में से उस भूखंड के आकार का विवरण दें जिसका उपयोग प्रस्तावित गोदाम के लिए किया जाएगा । | | | | | | | |
| # भूखंड का आकार केवल मीटर में दें । | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|
| 6 | यदि आप शहरी वितरक, आर-अबेन वितरक तथा ग्रामीण वितरक हेतु आवेदन कर रहे हैं तो विज्ञापित स्थान पर शोरूम हेतु भूमि या शोरूम (स्वामित्व या न्यूनतम 15 वर्षों की लीज पर) का विवरण प्रदान करें। यदि भूमि 'परिवार इकाई' से संबंधित हो तो परिशिष्ट - 4 के अनुसार घोषणापत्र संलग्न करें। | | | | | | | | | |
| | भूमि/शोरूम मालिक या लीजधारक का(के) नाम | आवेदक के साथ संबंध | सेल डीड/गिफ्ट डीड/रजिस्टर्ड लीज डीड की तारीख/परिवर्तन तारीख | शोरूम/शोरूम हेतु भूमि का पता | खसरा नंबर/सर्वे नंबर | क्षेत्रफल # | | | | |
| | | | | | | लंबाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में | | | |
| 7 | मौजूदा केरोसीन डीलरों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी | | | | | | | | | |
| क. | एसकेओ डीलरशिप का नाम | | | | | | | | | |
| ख. | स्थान | | | | | | | | | |
| ग. | जिला | | | | | | | | | |
| घ. | राज्य | | | | | | | | | |
| ड. | डीलरशिप की श्रेणी | | | | | | | | | |
| च. | तेल कंपनी का नाम | | | | | | | | | |
| छ. | डिलरशिप का निर्वाचन क्षेत्र | | | | | | | | | |
| ज. | इस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु विज्ञापन से पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान औसत मासिक केरोसीन आवंटन | | | | | | | | | प्रतिमाह औसत किलो |
| 8 | अतिरिक्त जानकारी (मौजूदा एनडीएनई एलपीजी खुदरा विक्रेताओं/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा भरी जाए) | | | | | | | | | |
| क. | एलपीजी एनडीएनई खुदरा विक्रेता / डिस्ट्रीब्यूटर का नाम | | | | | | | | | |
| ख. | स्थान | | | | | | | | | |
| ग. | जिला | | | | | | | | | |
| घ. | राज्य | | | | | | | | | |
| ड. | तेल कंपनी का नाम | | | | | | | | | |

9 आवेदक द्वारा घोषणा

मुझे पता है कि मेरे द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता के लिए निर्णय लिया जाएगा। तेल कंपनी द्वारा सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / झूठी / असत्य है, तब मेरी उम्मीदवारी रद्द होगी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मुझे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि चयन हुआ तो मैं अपने द्वारा इस आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में मूल दस्तावेज पेश करूंगा/करूंगी और इन दस्तावेजों को मूल रूप में पेश करने में असफल होने के कारण से चयन रद्द होगा।

मुझे पूरी तरह से पता है कि यदि मैं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित गोडाउन और / या तेल कंपनी के मानक लेआउट के अनुसार एलपीजी गोदाम उपलब्ध कराने में असमर्थ होता/होती हूँ तो मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन रद्द होगा।

मुझे पता है कि एलपीजी गोदाम और शोरूम सुविधा के प्रावधान के लिए अपने आवेदन में पेशकश की गई भूमि यदि किसी भी अन्य आवेदक द्वारा, उसी स्थान के लिए पेशकश करने पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि मुझे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि मैं नौकरी करता/करती हूँ। नियुक्ति पत्र के जारी होने से पहले मुझे अपनी सेवा से इस्तीफा देना होगा और अपने नियुक्ता से मेरे इस्तीफे की स्वीकृति का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप मेरा चयन रद्द हो जाएगा।

मैं इससे भी वाकिफ हूँ कि मैं किसी भी वेतन / भत्तों / परिलब्धियों (प्राप्त पेंशन के अलावा) राज्य/केंद्रीय सरकार से वेतन प्राप्त नहीं कर सकता/सकती और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपनी नियुक्ति के समय मुझे इन सभी लाभों को छोड़ना होगा। इस शर्त के पालन की विफलता में मेरा चयन रद्द होगा।

मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि मुझे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का व्यक्तिगत रूप से संचालन करना होगा।

मुझे पता है कि अगर मैं चयन हुआ तो आशय पत्र में दी गई समय सीमा के भीतर गोदाम के लिए वाहन आवागमन हेतु उचित मार्ग और क्रेडेंशियल्स के फील्ड सत्यापन (FVC) के समय पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मुझे पता है कि एफवीसी करने से पहले लागू सुरक्षा जमा राशि का 10% जमा करना होगा और इसकी विफलता पर मेरी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / झूठी / असत्य है तो एफवीसी से पहले जमा की गई राशि की जब्त सहित मेरी उम्मीदवारी भी रद्द हो जाएगी।

कि यदि चयन हुआ तो, मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार ब्याज मुक्त सुरक्षा राशि जमा करूंगा/करूंगी।

मैंने विज्ञापन/विवरणिका में उल्लिखित लागू नियम और शर्तों को पढ़ा है और पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं इस आवेदन में आवेदन की गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लागू पात्रता मानदंड को पूरा करता/करती हूँ।

कि यदि चयन हुआ तो मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं क्रेडेंशियल्स के फील्ड सत्यापन (FVC) के समय पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन हेतु मेरे आवेदन में की गई सभी स्वयं घोषणाओं संबंधी विधिवत नोटरीकृत शपथपत्रों को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

जांचसूची की मद संख्या 10, जो इस आवेदन का एक भाग है, को इस आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति से पहले मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है और यह सत्य व सही है।

शपथपत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्री /पुत्र/पत्नी,
श्री _____ एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर
दी गई जानकारी सत्य और सही है। किसी भी गलत /असत्य जानकारी/सत्यां को छुपाने पर एलपीजी
डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मुझे अयोग्य ठहराया जाएगा।

| | | | |
|----------|---------------------|------------------------|--|
| स्थान: | | आवेदक के हस्ताक्षर | |
| दिनांक : | d d - m m - y y y y | आवेदक का नाम | |
| | | (नाम बड़े अक्षरों में) | |

10. आवेदकों के लिए जांच सूची

| नोट : चेक बाँक्स में 'हां' या 'ना' में यथालागू टिक करें (सभी मदों को भरना अनिवार्य है)। | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-----------|
| क्र.सं. | जाँच किए जाने वाले दस्तावेज / गतिविधि | चेक बाँक्स # (हाँ/नहीं) | | |
| 1 | मैं संबंधित कंपनी के पक्ष में जारी सत्यापित राशि का डीडी संख्या _____ दिनांक _____ संलग्न करता/करती हूँ। | हां | / | नहीं |
| 2 | मैंने अपना अभी हाल का फोटोग्राफ चिपकाया है और उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। | हां | / | नहीं |
| 3 | मैंने श्रेणी के लिए यथा लागू पात्रता प्रमाणपत्र(त्रों) की प्रतियाँ संलग्न की हैं। | हां | / | नहीं / NA |
| 4 | मैंने स्वयं घोषणापत्र को परिशिष्ट - 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल रूप में संलग्न किया है। | हां | / | नहीं |
| 5 | मैंने स्वयं घोषणापत्र को यथा लागू परिशिष्ट - 2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार मूल रूप में संलग्न किया है। | हां | / | नहीं / NA |
| 6 | मैंने संयुक्त मालिकों/संयुक्त लीजधारकों के लिए स्वयं घोषणापत्र को यथा लागू परिशिष्ट - 4 के अनुसार मूल रूप में संलग्न किया है। | हां | / | नहीं / NA |
| 7 | मैंने परिशिष्ट - 3 सी के अनुसार ओबीसी आवेदकों के लिए स्वयं घोषणापत्र - यथा लागू स्वयं घोषणापत्र / शपथपत्र मूल रूप में संलग्न किया है। | हां | / | नहीं / NA |
| 8 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि आवेदन की तिथि पर मेरी उम्र पात्रता मानदंड के अनुसार है। | हां | / | नहीं / NA |
| 9 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि पात्रता मानदंड के अनुसार मेरे पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। | हां | / | नहीं / NA |
| 10 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे पास गोदाम की भूमि/गोदाम, मेरे स्वयं / 'परिवार इकाई' ** के सदस्य/मेरे माता-पिता और दादा दादी (मातृ और पैतृक दोनों) के नाम पर है और विज्ञापन के खंड नं. ___ और विवरणिका के खंड नं. ___ और ___ के अनुसार यह स्वामित्व मापदंड सहित पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हैं। (कृपया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देशों के मद संख्या ___ का भी संदर्भ लें) | हां | / | नहीं / NA |
| 11 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे पास शोरूम की भूमि/शोरूम, मेरे स्वयं / 'परिवार इकाई' ** के सदस्यों / मेरे माता-पिता और दादा दादी (मातृ और पैतृक दोनों) के नाम पर है और विज्ञापन के खंड नं. ___ और विवरणिका के खंड नं. ___ और ___ के अनुसार यह स्वामित्व मापदंड सहित पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हैं। (कृपया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देशों के मद संख्या ___ का भी संदर्भ लें) | हां | / | नहीं / NA |
| 12 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र के अंत में शपथपत्र पर नाम, दिनांक और स्थान सहित हस्ताक्षर किए हैं। | हां | / | नहीं / NA |
| 13 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। | हां | / | नहीं / NA |
| 14 | अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र के कुल पृष्ठों की संख्या ___ है। | हां | / | नहीं / NA |
| 15 | मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि आवेदन हर तरह से परिपूर्ण है और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। | हां | / | नहीं / NA |

| दिनांक | स्थान | आवेदक का नाम | हस्ताक्षर |
|--------|-------|--------------|-----------|
|--------|-------|--------------|-----------|

चेकलिस्ट में जहाँ कहीं भी कोई भी मद लागू नहीं होते, आवेदक चेक बाँक्स में, "लागू नहीं (NA)" के रूप में उल्लेख करें।

परिवार की इकाई का तात्पर्य बहुविध डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदंडों के लिए निम्न रूप में है :

- विवाहित व्यक्ति / आवेदक के मामले में 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसका पति/उसकी पत्नी और उसके अविवाहित सुपुत्र/सुपुत्रि(त्रियाँ) शामिल हैं।
 - अविवाहित व्यक्ति / आवेदक के मामले में 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके अविवाहित भाई/बहन(नें) शामिल हैं।
 - तलाकशुदा व्यक्ति के मामले में 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित सुपुत्र/सुपुत्रि(त्रियाँ), जिनकी अभिरक्षा/जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है, शामिल हैं।
 - विधवा/विधुर व्यक्ति के मामले में 'परिवार इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित सुपुत्र/सुपुत्रि(त्रियाँ) शामिल हैं।
- गोडाउन/शोरूम के लिए भूमि के स्वामित्व के लिए परिवार इकाई का तात्पर्य, बहुविध डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप पात्रता मानदंडों में परिभाषित परिवार इकाई से है जिनमें माता-पिता (इसमें सौतेला पिता/सौतेली माँ शामिल है), दादा-दादी/नाना-नानी (पैतृक एवं मातृक दोनों), भाई/बहन (सौतेला भाई एवं सौतेली बहन सहित), सुपुत्र/सुपुत्रि (सौतेला सुपुत्र/सौतेली सुपुत्रि सहित), आवेदक का दामाद/बहू या पति/पत्नी (विवाहित आवेदक के मामले में) शामिल है।

(सादे कागज पर टाइप किया जाए)

श्री _____ मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
 आयु _____ वर्ष _____ का/की निवासी एतदद्वारा
 सत्यनिष्ठा से निम्न रूप में प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि :

- 1 कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत में रह रहा/रही हूँ ।
- 2 कि मेरी जन्म तिथि

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | / | m | m | / | y | y | y | y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 (शब्दों में _____) है।
- 3 कि मैंने वर्ष* में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| y | y | y | y | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
- 4 मैं अविवाहित हूँ । मेरे पास, मेरे पिता, माता, अविवाहित भाई(यों), अविवाहित बहन(नों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है या ना ही किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी का आशय पत्र है ।
अथवा
 कि मैं विवाहित हूँ और मेरे पति/मेरी पत्नी का नाम _____ है । कि मेरे पास, मेरे पति/मेरी पत्नी, अविवाहित पुत्र(त्रों), अविवाहित पुत्रि(यों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है या ना ही किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप
अथवा
 कि मैं विधवा/विधुर हूँ । मेरे पास, मेरे अविवाहित पुत्र(त्रों), अविवाहित पुत्रि(यों) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है या ना ही किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी का आशय पत्र है ।
अथवा
 कि मैं तलाकशुदा हूँ । मेरे पास, मेरे अविवाहित पुत्र(त्रों), अविवाहित पुत्रि(यों) (जिनकी अभिरक्षा मुझे सौंपी गई है) के पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है या ना ही किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आरजीजीएलवी का आशय पत्र है ।
- 5 कि मैं एतदद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि विवरणिका में यथापरिभाषित मेरे परिवार के सदस्यों में से कोई भी तेल विपणन कंपनियों का कर्मचारी नहीं है ।
- 6 कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हूँ ।
- 7 कि न्यायालय द्वारा मुझे कभी नैतिक हनन और / या आर्थिक अपराध के साथ-साथ कानूनी अपराध (स्वाधीनता संग्राम के अलावा) के आरोप में दोषी नहीं पाया गया था ।
- 8 कि मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के किसी भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप केरार की हस्ताक्षरकर्ता नहीं था/थी, जो कदाचार साबित होने और / अथवा विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर समाप्त की गई थी । मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को मेरे परिवार के सदस्य/यों (डीलर / वितरक चयन के दिशा निर्देशों में यथापरिभाषित) के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम की तेल कंपनी के किसी भी डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एकल स्वामित्व से इस्तीफा नहीं दिया है ।
- 9 **एसकेओ डीलरों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए***
 (क) कि मैं _____ (तेल विपणन कंपनी का नाम) की _____ के नाम एवं शैली से _____ स्थित (स्थान का नाम) एसकेओ डीलरशिप का एकमात्र मालिक हूँ जिसका एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापित माह से तत्काल 12 महीने पूर्व का प्रति माह औसतन एसकेओ आबंटन 75 किली से नीचे रहा है ।
 (ख) कि मैं, विज्ञापन से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं हुआ हूँ और / या विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों, डीलरशिप समझौता, केरोसिन नियंत्रण आदेश या एस्मा के तहत मेरी डीलरशिप के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ।
 (ग) मुझे पता है कि यदि मुझे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चुना जाता है, तो मुझे आईओसी/बीपीसी/ एचपीसी द्वारा एलपीजी वितरक के रूप में नियुक्ति से पहले मुझे अपनी एसकेओ डीलरशिप छोड़नी होगी ।
- 10 **आवेदकों जिनके पास एनडीएनई रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या एनडीएनई की रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप* का आशय पत्र है, के लिए ।**
 (क) कि मेरे अथवा मेरी परिवार इकाई के सदस्य के पास _____ (स्थान का नाम) पर _____ (तेल विपणन कंपनी का नाम) की एनडीएनई की रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या एनडीएनई की रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप* का आशय पत्र है ।
 (ख) मैं जानता हूँ कि यदि मैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चुना जाता हूँ तो आईओसी/बीपीसी/एचपीसी द्वारा मुझे एलपीजी वितरक के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले मुझे / मेरे परिवार इकाई सदस्य को एनडीएनई की रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप या मेरे/मेरे परिवार इकाई सदस्य के नाम की एलओआई छोड़नी होगी ।

| | |
|---|--|
| 11 | <p>मुझे पता है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा अपने आवेदन में एलपीजी गोडाउन/शोरूम सुविधा के लिए मेरे द्वारा प्रस्तावित भूखंड को किसी अन्य द्वारा भी उसी स्थान हेतु एलपीजी गोडाउन/शोरूम के लिए प्रस्तावित किया गया है तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द होगी/आशय पत्र वापस लिया जाएगा/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप यदि पहले से नियुक्त है, समाप्त की जाएगी । * जो लागू न हो उसे काट दें ।</p> |
| 12 | <p>कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने हेतु मेरे आवेदन में अथवा आवेदन के समर्थन में यदि प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज अथवा इसके शपथपत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी/घोषणापत्र असत्य अथवा गलत या झूठी पाई जाती है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन*/ भारत पेट्रोलियम* /हिंदुस्तान पेट्रोलियम* को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आशय पत्र वापस लेने/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप (यदि पहले ही नियुक्ति की गई हो तो) समाप्त करने का अधिकार होगा और इसे वापस लेने/समाप्त करने हेतु कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई भी दावा, जो कोई भी हो, नहीं किया जा सकता । * जो लागू न हो उसे काट दें ।</p> |
| 13 | <p>मुझे पता है कि यदि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ड्रॉ में मेरा चयन होता है तो एफवीसी करने से पहले मुझे इस घोषणापत्र को नोटरीकृत करना होगा ।</p> |
| <p>* जो लागू न हो उसे काटें.</p> | |
| <p>मैं एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोल्लिखित जानकारी सही और सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।</p> | |
| | |
| <p>जगह तथा तिथि :</p> | |
| <p style="text-align: right;">स्वयं घोषणापत्र करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर</p> | |
| <p style="text-align: right;">(नाम बड़े अक्षरों में)</p> | |

घोषणापत्र

परिशिष्ट - 2

(सादे कागज पर टाइप किया जाए)

(आवेदक के अलावा पात्रता मानदंडों में यथापरिभाषित परिवार के किसी सदस्य द्वारा दिया जाए)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी
श्री _____ आयु _____ वर्ष _____ का/की निवासी

1

कि मैं अविवाहित हूँ और मेरे पिता*/माता*/अविवाहित भाई*/अविवाहित बहन* (श्री/श्रीमती) _____ (नाम) ने दिनांक _____ को _____ समाचार पत्र में _____ (स्थान) पर ' _____ ' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन किया है।

अथवा

कि मैं विवाहित हूँ और मेरे अविवाहित पुत्र*/अविवाहित पुत्री*/पत्नी*/पति*/पोता*/पोती* (श्री/श्रीमती) _____ (नाम) ने दिनांक _____ को _____ समाचार पत्र में _____ (स्थान) पर ' _____ ' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित आईओसी*/बीपीसी*/एचपीसी* की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन किया है।

* जो लागू न हो उसे काटें।

2

आवेदन प्रपत्र के मद संख्या 5 एवं 6 में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड मेरे अकेले/संयुक्त नाम पर है। सीमांकन नक्शे (यदि कोई हो) के साथ-साथ पेशकश की गई भूमि का विवरण नीचे दिया गया है :

| गोडाउन/शोरूम | मालिक (कों)/पट्टे धारक (कों) का नाम | सेल डीड/गिफ्ट डीड/रजिस्टर्ड लीज डीड की तारीख/परिवर्तन तारीख | खसरा संख्या/ सर्वे संख्या | भूमि का कुल क्षेत्रफल | | भूखंड का क्षेत्रफल सीमांकन नक्शे के अनुसार | |
|--------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | | लंबाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में | लंबाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में |
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड.) | | (च) | |
| | | D D M M Y Y | | | | | |

नोट : यदि (ड.) में उल्लेख किए गए भूमि से भूखंड (हिस्से) की पेशकश की गई है तो विवरण (च) प्रदान किया जाए।

3 (क)

यदि वह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चुना जाता/चुनी जाती है, तो मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि (ड.) में दिए गए विवरण के अनुसार उपरोक्त भूखंड पर (यदि पूरा भूखंड पेश किया गया हो) एलपीजी गोडाउन/शोरूम (तेल विपणन कंपनी द्वारा यथा अपेक्षित) के निर्माण के लिए मेरी कोई भी आपत्ति नहीं है।

अथवा

यदि वह एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चुना जाता/चुनी जाती है, तो मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त भूमि पर एलपीजी गोडाउन/शोरूम (तेल विपणन कंपनी द्वारा यथा अपेक्षित) के निर्माण के लिए मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है और (च) में दिए गए भूखंड का विवरण, साइट प्लान के सीमांकन सहित सभी सह-मालिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्न है। (यदि (ड.) में उल्लेख किए गए भूमि से भूखंड (हिस्से) की उपरोक्त आवेदक को पेशकश की गई है जिसका विवरण (च) में दिया गया है के मामले में लागू)।

3 (ख)

मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोकेशन के लिए उपरोक्त भूमि/भूखंड की पेशकश इसी उद्देश्य हेतु किसी अन्य आवेदक को नहीं की गई है।

4

मुझे पता है कि यदि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ड्रॉ में मेरा चयन होता है तो एफवीसी करने से पहले मुझे घोषणापत्र को नोटरीकृत करना होगा।

मैं एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त लिखित जानकारी सही और सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रमाणित एवं घोषित

तिथि _____ स्थान _____

हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए मानक प्रपत्र

टिप्पणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंध रखने का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार मूल प्रमाणपत्र के साथ नीचे दिए गए प्रपत्र में इसकी प्रति को प्रस्तुत करना चाहिए जिसे उसके माता-पिता (अथवा जीवित माता-पिता) सामान्य रूप से निवास कर रहे जिले के सक्षम प्राधिकारी # भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु पदनामित किया गया हो। यदि उसके माता-पिता दोनों मर चुके हैं, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर उस जिले के अधिकारी के होंगे जिसमें उम्मीदवार अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा खुद सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के बारे में किसी भी संदेह की स्थिति में, इसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के माध्यम से सत्यापित किया जाए।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी* _____, _____ पुत्र / पुत्री* _____ गांव/ शहर* _____ जिला /मंडल* _____ राज्य/संघ क्षेत्र* _____ जाति/जनजाति से संबंधित है और उसका धर्म _____ है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956* जिसे मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956* के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956*

संविधान (अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956 *

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 *

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964*

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970*

स्थान : _____ हस्ताक्षर : _____

तारीख : _____ पदनाम: _____

राज्य एवं संघ क्षेत्र *

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काटें।

टिप्पणी :यहाँ प्रयोग किया गया शब्द "सामान्य रूप से निवास" का वही अर्थ है जो रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 की धारा-20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारीगण।

i. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप जिलाधिकारी, प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट * * * उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ii. चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से कम नहीं।

iv. ऐसे क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहाँ पर उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास कर रहा हो।

v. प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) के प्रशासनिक / सचिव